



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112022-239974
CG-DL-E-01112022-239974

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4869]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 2022/कार्तिक 10, 1944

No. 4869]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 2022/KARTIKA 10, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2022

का.आ. 5088(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देते हैं कि लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल निम्नलिखित के लिए नियम बनाएंगे—

- (i) उक्त संघ राज्य क्षेत्र के मामले में अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन समूह “क” और समूह “ख” (राजपत्रित) लोक सेवाओं और पदों पर भर्ती को विनियमित करने हेतु;
- (ii) ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हताएं; और
- (iii) परिवीक्षा, पुष्टीकरण, ज्येष्ठता और प्रोन्नति के प्रयोजनों के लिए ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें।

2. इस निदेश के अधीन बनाया गया कोई भी नियम संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श के अध्वधीन होगा।

3. उन सेवाओं और पदों पर भर्ती के मामले में, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है, ऐसी सेवाओं और पदों के लिए, इस निदेश के अधीन बनाए जाने वाले नियमों के संबंध में उक्त सरकार का पूर्व अनुमोदन भी लिया जाएगा।

4. इस निदेश के अधीन अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे संवर्ग पर जनित लोक सेवाओं और पदों पर लागू नहीं होगी, जो दो या उससे अधिक संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समान हों।

[फा. सं. 12011/12/2020-एल (पार्टी)]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st November, 2022

S.O. 5088(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby directs that the Lieutenant Governor of the Union territory of Ladakh shall make rules for,-

- (i) regulating the recruitment to the public services and posts of Group 'A' and Group 'B' (Gazetted) under his administrative control in connection with the affairs of the said Union territory;
 - (ii) the qualifications necessary for appointment to such services and posts; and
 - (iii) the conditions of service of persons appointed to such services and posts for the purposes of probation, confirmation, seniority and promotion.
2. Any rule made under this direction shall be subject to previous consultation with the Union Public Service Commission.
 3. In the case of services and posts, appointment to which requires the prior approval of the Central Government, the prior approval of that Government shall also be obtained in respect of the rules, as to be made under this direction, for such services and posts.
 4. Nothing contained under this direction shall apply to any public services and posts borne on a cadre common to two or more Union territories.

[F. No. 12011/12/2020-L(Pt.)]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.